कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार

(संग्रहालय निदेशालय)

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के प्रसंग में सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं :–

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य :

(क) राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा और धरोहर, यथा–मूर्ति, चित्रकला, अभिलेख, सिक्के तथा अन्य कला–सामग्रियाँ, जो अतीत की गतिविधियों एवं ऐतिहासिक परिघटना के साक्ष्य हैं ; के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, संरक्षण प्रकाशन, शोध आदि महत्वपूर्ण कार्यो के प्रभावी सम्पादन के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1961 में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की । मार्च, 1987 में संग्रहालय निदेशालय को पृथक कर अलग स्थापना की गयी। सम्प्रति संग्रहालय निदेशालय के अधीन 20 संग्रहालयों द्वारा धरोहर संरक्षण, प्रदर्शन, भंडारण, शोध आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

(ख) राज्य के सभी संग्रहालय जीवंत, सांस्कृति एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में आमजन, विशेषकर नयी पीढ़ी को इतिहास, परम्परा और समृद्ध धरोहर से परिचित कराने के महत्वपूर्ण दायित्य का निर्वहन कर रहे हैं।

(ग) क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक धरोहर एवं कला–सम्पदा का सर्वेक्षण, संकलन एवं सुरूचिपूर्ण प्रर्दशन तथा शोध, प्रकाशन आदि के कार्यो के साथ, जिज्ञासुओं और शोधार्थियों को वस्तुपरक सूचनाएं उपलब्ध कराना संग्रहालय का प्रमुख कर्तव्य है। संग्रहालय के माध्यम से बहुमूल्य कलाकृतियों/पुरावशेषों के संरक्षण का कार्य भी संग्रहाल कर्मियों के कर्त्तव्य का महत्वपूर्ण भाग है।

2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्त्तव्य :

प्राचान कलाकृतियों, पुरावशेषों तथा इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्रीयों के अर्जन का अधिकार संग्रहालय के पदाधिकारियों का प्रमुख अधिकार है।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जानेवाली प्रक्रिया :

स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ''ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट, 1878'' तथा ''बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व–स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976'' के आलोक में प्राचीन कलाकृतियों तथा पुरावशेषों का अर्जन किया जाता है। विभिन्न स्थलों से आकस्मिक रूप से प्राप्त मर्तियों, सिक्कों तथा अन्य प्राचीन सामग्रियों के संकलन में स्थानीय सहयोग लिया जाता है।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान :

पुरावशेष/कलाकृतियों के अर्जन, प्रदर्शन, शोध, संरक्षण आदि के कार्य दायित्यवों का निर्वहन संग्रहालय निदेशालय का प्रमुख कर्त्तव्य है। पुरावशेषा के अर्जन तथा समृद्ध धरोहर के प्रति जागरूक करने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। जीवंत सम्पर्क एवं जागरूकता अभियान के

माध्यम से प्रशासनिक तथा जन–सहयोग प्राप्त करने की दिशा में निदेशालय सार्थक प्रयास करता है। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए सतत् सक्रियाता तथा धरोहर संरक्षण जागरूकता की दिशा में सक्रियाता ही मुख्य मापमान है।

5. **अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:**

राज्य सरकार द्वारा विनियमित कार्य पालिका नियमावली, तथा अन्य प्रासंगिक नियम आदि से संग्रहालय निदेशालय के पदाधिकारी/कर्मचारी संचालित होते है। विभागीय नियम, सेवा–भर्ती नियमावली तथा अन्य विनियम, अनुदेश, अभिलेख आदि में अधिकांश विभागीय कम्पेडियम में संकलित हैं। शेष का संकलन कर, सम्पक रूप से ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के प्रसंग में नियम, अनुदेश, विनियम, अभिलेख को सूचीपत्रित और अनुक्रमाणिकाबद्ध किया जा सकता है।

6. **ऐसे दस्तावेजों के, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणधीन है, प्रवर्गो का विवरण:**

संग्रहालय निदेशालय एवं उसके अधीन राज्य के संग्रहालयों में दस्तावेजों के प्रवर्ग में प्रथमतः सामान्य प्रशासनिक संचिकाएं, अधिसूचना, आदेश आदि अभिलेख सम्मिलित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है, संग्रहालयों में संधारित पुरावशेष/कलाकृतियों/प्रदर्शो की प्राप्ति एवं वर्गोकरण संबंधित पंजी। इस प्रवर्ग के अन्तर्गत प्राप्ति पंजी (रेसिप्ट रजिस्टर) तथा वर्गीकृत कैटलांग (क्लासिफाईड कैटलॉग) पंजी सम्मिलित हैं। प्राप्त पंजी में संग्रहालयों को प्राप्त होनेवाले सभी प्रदर्शो की प्रविष्टि की जाती है, जबकि वर्गीकृत कैटलॉग में संग्रहालय के संकलन में रखें जाने योग्य प्रदर्शो की प्रभागवार प्रविष्टि की जाती है।

7. **किसी व्यवस्था की विशिष्टियों, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यो से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :**

संग्रहालय निदेशालय की विशिष्टियॉ प्राचीन कलाकृति एवं ऐतिहासिक परिघटनाओं तथा धरोहर के तर्क संगत परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शन, शोध, संरक्षण की आधारपभूत संरचना के निर्माण में अन्तनिहित है। अतएव, संग्रहालय में प्रदर्शन, संकलन, भंडारण, संरक्षण तथा सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और धरोहर के संबंध में साधारण–जन के परामर्श अथवा उनके सुझावों के लिए संग्रहालय प्रशासन सदैव प्रस्तुत है और जनता को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।

8. **ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहूंच होगी, विवरण :**

संग्रहालय निदेशालय के अधीन ऐसा कोई बोर्ड या निकाय कार्यरत नहीं है।

9. **अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :**

सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक नियमावली/निर्देश संग्रहालय निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू हैं। अलग से कोई निर्देशिका आदि नहीं है।

10. **अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो :**

(कार्यरत कार्यबल का पदनाम सहित मासिक परिलब्धियॉ) – इसकी प्रविष्टि कार्यालय अभिलेख से करें।

11. **सभी योजनाओं, प्रत्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :**

(योजना/गैर–योजना/12वें वित्त आयोग के आवंटित बजट की विवरणी)

इस विवरणी की प्रविष्टि बजटीय उपबंध तथा व्यय के अनुसार कार्यालय अभिलेख द्वारा करें।

12. **सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है :**

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से सिविल, उर्जा तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। संग्रहालय विकास, यथा– कम्प्यूटरीकरण, डिजिटाइजेशन, प्रकाशन, संग्रहालय दीर्धाओं के सौन्दर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य निविदा तथा मान्य प्रक्रिया के आधार पर सम्पादित किये जाते हैं।

13. **अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ :**

पटना संग्रहालय राजधानी के केन्द्रीय महत्व का ख्याति प्राप्त संग्रहालय है। सामान्य दर्शकों के प्रवेश के लिए 5/रू० के प्रवेश टिकट का प्रावधान है। विधार्थियों के समूह के लिए प्रति विद्यार्थी 2/रू० के रियायती प्रवेश टिकट की सुविधा दी जाती है। राज्य के शेष संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क है। राज्य के गैर–सरकारी संग्रहालयों/संस्थानों, यथा–गॉधी संग्रहालय, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित संग्रहालयों को गैर–योजना/योजना/बजट से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शोधकर्ताओं सहित सामान्य दर्शकों को संग्रहालयों में संकलित प्रदर्शो की वस्तुपरक विशिष्ट जानकारियॉ निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। दर्शकों के लिए रियायती प्रकाशन भी संग्रहालयों में उपलब्ध है।

14. **किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो :**

विभागीय वेवसाईट (एड्रेस http://yac.bih.nic.in) के द्वारा संग्रहालयों और उनमें संकलित पुरावशेषों/प्राचीन कलाकृतियों/प्रदर्शो की सूचनाएं उपलब्ध है। प्रदर्शो के चित्र, कैटलॉग डाटा अनुरोध पर सी0डी0 में उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

15. <u>सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉं, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं :</u>

संग्रहालय निदेशालय के अधीन ऐसा कोई पुस्तकालय या वाचन कक्ष नहीं है। संग्रहालय कार्यावधि में नागरिकों द्वारा अभियाचित सूचनाएं, जिन्हें उपलब्ध कराने में उच्च प्राधिकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं है; संग्रहालय कर्मियों द्वारा नागरिकों के मौखिक या लिखित अनुरोध पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

16. <u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्यिटयाँ :</u>

(क) श्री अब्दूर रहमान, — संयुक्त सचिव,
अधिकारी, — कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, — बिहार, पटना— 800015
बिहार, विकास भवन, पटना — 800015

(ख) श्री परवेज अख्तर, — सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,
सहायक लोक सूचना अधिकारी, — सह—मार्गदर्शक व्याख्याता
संग्रहालय निदेशालय, बिहार, — पटना संग्रहालय, बुद्ध मार्ग,
विकास भवन, पटना— 800015 पटना— 800015

(ग) पटना संग्रहालय सहित सभी संग्रहालयों
के संग्रहालाध्यक्ष, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी।

17. <u>ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा :</u>

(क) संग्रहालयों में अर्जित नये पुरावशेष/प्रदर्श
(ख) प्रकाशन (हर वर्ष प्रकाशित नये प्रकाशनों के साथ)
(ग) निदेशालय सहित सभी संग्रहालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/तकनीकी कर्मियों की सूची।
(घ) प्रत्येक संग्रहालयों में दीर्घा विकास और नयी दीर्घा की सूचनाएं।
(ड.) बजटीय उपबंध और केन्द्रीय सहायता।
(च) अन्यान्य महत्वपूर्ण सूचनाएं।

18. वर्तमान वि-ीय वर्ष 2007—08 में संग्रहालय निदेशालय के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित

क्र.	योजनाओं के नाम	कर्णांकित राशि(लाख में)
1.	जननायक कर्पूरी ठाकुर स्म ति संग्रहालय, पटना का स्थापना संधारण	20.00
2.	संग्रहालयों में दीर्घा विकास एवं प्रदर्शन में सुधार	15.00
3.	पुरावशे ाों/कलाकृतियों का डिजिटल डक्यूमेंटेशन	2.00
4.	संग्रहालयों में कारगर सुरक्षा प्रबंधन	25.00
5.	संग्रहालयों में लैण्ड स्कैपिंग एवं उद्यान विकास	5.00
6.	संस्कृति संपदाओं का संरक्षण	2.00
7.	गैर सरकारी संग्रहालयों/संस्थानों को सहायक अनुदान	10.00
8.	कैटलॉग का प्रकाशन	5.00
9.	पटना संग्रहालय के कर्मियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण	5.00
10.	संग्रहालयों में प्रकाश व्यवस्था	11.00
11.	पटना संग्रहालय का उन्नयन एवं विकास, प्रदर्शन तकनीक में सुधार एवं वातानुकूलन की व्यवस्था सहित	300.00
	योग	400.00
	बरहवें वित्त आयोग– विरासत संरक्षण	1000.00

(सहदेव कुमार)
निदेशक, संग्रहालय, बिहार।